आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री परेश एम.जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं.752/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2013-14

जेतेन्द्र सिंह चौहान, 272, हाई-लिंक प्रिमियम कॉरीडोर, गांधीनगर, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी 4(1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एकेएक्सपीसी 4011 ई PAN- AKXPC4011E		

अपीलार्थी की ओर से	श्री अर्पित गौर, सीए
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	24.03.2025
उद्घोषणा तिथि	24.03.2025

आदेश

श्री परेश एम.जोशी, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली के आदेश दिनांक 29.08.2024 के विरूद्ध निदेशित, है जो कि आयकर अधिकारी 4(1), इंदौर के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144/147 के अधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 से उद्भूत है।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है। निर्धारिती के आवेदन के उत्तर में विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 2 जारी किया गया है ।

उक्त योजना के नियमों के अनुसार, निर्धारिती से यह अपील वापिस लेना अपेक्षित है निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 1, 2 एवं 4 की प्रतियां भी दाखिल की गई हैं । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 24.03.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम.बियाणी)	(परेश एम.जोशी)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 24.03.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल